


भारतीय गैर न्यायिक



छत्तीसगढ़ GOVT. OF INDIA ATTISGARH

AG 956069

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 26

(नियम 4क देखिए)

छत्तीसगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम) राज्यसभा छत्तीसगढ़ (सदन का नाम)

के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग - अ

मैं श्रीमती लक्ष्मी वर्मा पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री युगल किशोर वर्मा आयु 60 वर्ष, जो पता संतोषी नगर खमतराई, वार्ड नंबर 7, रायपुर (छ.ग.) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

(1) मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे भारतीय जनता पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया है/निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम विधानसभा क. 45 बलौदाबाजार (छ.ग.) विधानसभा क्षेत्र के छत्तीसगढ़ (राज्य का नाम), में क्रम सं. 37 पर, भाग सं. 15 के पर प्रविष्ट है।

2[(3) मेरा/मेरे 9826865885, 7974551856 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं और मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा

(i) Email-ID - laxmivermabjp9@gmail.com

(ii) Facebook - laxmi verma

(iii) Twitter - laxmivermabjp

(iv) Instagram - laxmi.vermabjp

खाता/खाते (यदि कोई हो) है/हैं।



05 MAR 2026

Laxmi

क्रमांक 2249..... दिनांक 03/03/2026... कीमती 50/रु
विक्रेता श्रीमती लक्ष्मी वर्मा
पिता/पति पुमान् मिश्र वर्मा
निवासी कोला ही नगर रायपुर (छ.ग.) जिला रायपुर (छ.ग.)
मार्फत जयदेवकाश जयदेवकाश
क्रेता
पिता/पति
निवासी जिला रायपुर (छ.ग.)
वास्तु शायब कान्ही कीमती 50/रु

ललित कुमार छुटानी, स्टाम्प वेंडर, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

DISTRICT TREASURY OFFICE
09 FEB 2026
RAIPUR (CHHATTISGARH)

NOTAR
Notary Public
Rajpur (C.G.)
No. 577
2024

2026-03-03 10:00:00

2026 MAR 03

3[(4) स्थायी खाता संख्या (पैन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

कम.सं	नाम	पीएएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिये अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गयी है	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आय-कर विवरणी में दर्शित कुल आय (रूपये में)
01	लक्ष्मी वर्मा	ADWPV5303L	2024-25 (वित्तीय वर्ष) कुल आय 393890 रु. कृषि आय 424000 रु.	2020-21 - 408000 रु. कृषि आय - 121800 रु. 2021-22 - 396400 रु. कृषि आय - 132000 रु. 2022-23 - 196000 रु. कृषि आय - 174000 रु. 2023-24 - 254840 रु. कृषि आय - 216000 रु. 2024-25 - 393890 रु. कृषि आय - 424000 रु.
02	पति/पत्नी श्री युगल किशोर वर्मा	ADWPV5300K	2024-25 (वित्तीय वर्ष) कुल आय 502990 रु. कृषि आय 504000 रु.	2020-21 - 357130 रु. कृषि आय - 312000 रु. 2021-22 - 362250 रु. कृषि आय - 328000 रु. 2022-23 - 358000 रु. कृषि आय - 330000 रु. 2023-24 - 464730 रु. कृषि आय - 382000 रु. 2024-25 - 502990 रु. कृषि आय - 504000 रु.
03	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
04	आश्रित 1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
05	आश्रित 2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
06	आश्रित 3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पण: स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि 'कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आबंटित नहीं हुआ है')।


4[(6) लंबित आपराधिक मामले -

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता लिखें या

(ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं:

1. अधिसूचना सं० का०आ० 1732 (अ), तारीख 1 अगस्त, 2012 द्वारा प्ररूप 26 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 1133 (अ), तारीख 7 अप्रैल, 2017 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. अधिसूचना सं० का०आ० 1023 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2019 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. अधिसूचना सं० का०आ० 5196 (अ), तारीख 10 अक्टूबर, 2018 द्वारा पैरा 5 और 6 प्रतिस्थापित ।



05 MAR 2026

Jalun



30/09/20

10/09/20

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प को चिन्हांकित करे उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों का ब्यौरा दें।)

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इतिहास रिपोर्ट सं०	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं०	लागू नहीं
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं० दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	लागू नहीं
(ङ)	क्या आरोप विरचित किये गये हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं
(च)	यदि उपरोक्त मद (ङ.) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किए गये थे।	लागू नहीं
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं

(6) दोष सिद्धि के मामले -

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी अपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है

(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया गया है :

(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरा दें।

सारणी


(क)	मामला संख्यांक	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू नहीं
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं० दें अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है	लागू नहीं
(ङ)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीखें	लागू नहीं
(च)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें	लागू नहीं

(6क) मैंने, उपर पैरा (5) और पैरा (6) में दिये गये अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने सभी राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए]

टिप्पण:

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किए जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के सामने विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएं।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिये जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामले को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।
5. अभ्यर्थी 2011 की विधि अधिका (सिविल) सं० 236 में सार्वजनिक उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचना देने का उत्तरदायी होगा।



05 MAR 2026

Jain



30/11/2024

11/11/2024

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(7) यह कि मैं, अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थाई और अस्थाई, आदि) का ब्यौरा यहां नीचे देती हूँ :

क. जंगम संपत्तियों का ब्यौरा :

टिप्पण 1 : संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना है।

टिप्पण 2 : निक्षेप/विनिधान की दशा में, कम सं., रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यौरा दिया जाना है।

टिप्पण 3 : वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की बाबत स्टॉक एक्सचेंज में और असूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।

1[(टिप्पण 4 : "आश्रित" से अर्थार्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अर्थार्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रिक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवन यापन के लिए अर्थार्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 : प्रत्येक विनिधान की बाबत सहित रकम ब्यौरे पृथक् रूप से दिया जाना है।

2[(टिप्पण 6 : ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण- इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों, निधिओं के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं];

विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	1[हिन्दू अविभक्त कुटुंब]	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
हाथ में रोकड़	45000 रु.	55000 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) बैंक खातों में निक्षेप के ब्यौरे (एफडीआर, अवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निक्षेप), वित्तीय संस्थानों, गैर-बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसायटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम	1. जिला स.केन्द्रीय मर्या. बैंक हथबंद, खाता क्र. 624052084647, जमा राशि 286755 रु. दिनांक 28.2.2026 तक 2. बैंक ऑफ बड़ौदा संयुक्त खाता (लक्ष्मी वर्मा, युगल किशोर वर्मा) के.के. रोड रायपुर, खाता क्र. 05100100013263, जमा राशि 348752 रु. दिनांक 3.3.2026 तक 3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संयुक्त खाता (लक्ष्मी वर्मा, युगल किशोर वर्मा) ब्रांच फाफाडीह रायपुर, खाता क्र. 10443517566, जमा राशि 42606 रु. दिनांक 18.2.2026 तक 4. छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक खाता (लक्ष्मी वर्मा, युगल किशोर वर्मा) संतोषी नगर खमताराई, खाता क्र. 77072197933 (खाता सक्रिय नहीं है)	1. जिला स.केन्द्रीय मर्या. बैंक हथबंद, खाता क्र. 624052070871, जमा राशि 575207 रु. दिनांक 1.3.2026 तक 2. बैंक ऑफ बड़ौदा संयुक्त खाता (लक्ष्मी वर्मा, युगल किशोर वर्मा) के.के. रोड रायपुर, खाता क्र. 05100100013263, जमा राशि 348752 रु. दिनांक 3.3.2026 तक 3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संयुक्त खाता (लक्ष्मी वर्मा, युगल किशोर वर्मा) ब्रांच फाफाडीह रायपुर, खाता क्र. 10443517566, जमा राशि 42606 रु. दिनांक 18.2.2026 तक 4. केनरा बैंक तेलीबांधा जीई रोड, खाता क्र. 110165265555, जमा राशि 113 रु. दिनांक 3.3.2026 तक 5. छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक खाता (लक्ष्मी वर्मा, युगल किशोर वर्मा) संतोषी नगर खमताराई, खाता क्र. 77072197933	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेरों और कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के ब्यौरे और रकम	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) एनएसएस, डाकीय बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक विभाग व बीमा कंपनी में किसी वित्तीय लिखत में विनिधान और रकम	निरंक	केनरा एचएसबीसी लाईफ इश्योरेंस स्मार्ट गैरटेड पेंशन, पालिसी नं. 0178910712, प्रीमियम राशि 50 हजार सालाना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



05 MAR 2026

Signature



(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास, आदि किसी व्यक्ति या अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियां और रकम	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/नाव/जहाज(निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का ब्यौरा, खरीद के वर्ष और रकम)	निरंक	ट्रैक्टर 275डीआई 2013 मॉडल CG04 L 1039, ट्राली CG04 L 1035, क्रय करने का वर्ष-2013, क्रय राशि 6 लाख ट्राली सहित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (भार और मूल्य के ब्यौरे)	कुल सोने के आभूषण 465 ग्राम - नेकलेस 2, कंगन 6, चैन 5, अंगूठी 6, टॉप्स 10 आज की कीमत अनुसार लगभग 72 लाख 25 हजार रु. कुल चांदी के आभूषण 3.5 किलो- पायल 5, कस्धन 2, पायजेब 5, पूजा के बर्तन, आज की कीमत अनुसार लगभग 9 लाख 50 हजार रु.	कुल सोने के आभूषण 30 ग्राम - चैन 1, अंगूठी 2 आज की कीमत अनुसार लगभग 5 लाख 10 हजार रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावे का मूल्य/ब्याज	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	सकल कुल मूल्य	8898113 रु.	2131678 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1. अधिसूचना सं० का०आ० 5156 (अ), तारीख 10 अक्टूबर, 2018 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान प्रतिस्थापित ।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 1023 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2019 द्वारा अंतःस्थापित ।



05 MAR 2026

Jacm



10/12/12

SECRETARY
ADVOCATE
10/12/12

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 : संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2 : इस रूपविधान में प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए।

1। (टिप्पण 3 : ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति / पत्नि	1 [हिन्दू अविमक्त कुटुंब]	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक	कृषि भूमि ग्राम मुड़पार प.ह.नं.23, रा. नि.म जरौद तह. सिमगा जि. बलौदाबाजार में ख.नं. 58/2, रकबा 0.943, ख.नं. 426 रकबा 0.129, ख.नं. 427 रकबा 0.129, ख.नं. 428 रकबा 0.129, कुल रकबा 1.33 हे.	कृषि भूमि ग्राम मुड़पार प.ह.नं. 26, रा.नि.म जरौद तह. सिमगा जि. बलौदाबाजार में ख.नं. 61/4, रकबा 0.222, ख.नं. 36/3 रकबा 0.909, ख.नं. 202/2 रकबा 0.97, ख. नं. 202/3 रकबा 0.438, ख.नं. 202/6 रकबा 0.322, ख.नं. 202/10 रकबा 0.316, ख.नं. 202/11 रकबा 0.101, ख.नं. 210/2 रकबा 1.528, ख.नं. 660/13 रकबा 0.066 कुल रकबा 3.79 हे.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	3.286 एकड़	9.365 एकड़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	हां, उपरोक्त सारी कृषि भूमि विरासत में मिली है	हां, उपरोक्त सारी कृषि भूमि विरासत में मिली है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वाअर्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, निर्माण, आदि के माध्यम में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य			लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि :	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्थान	रायपुर	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वाअर्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, निर्माण, आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित)	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्थान	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



05 MAR 2026

Jain



(वर्गफुट में कुल माप)							
क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	निरंक	लागू नहीं					
स्वाअर्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	निरंक	लागू नहीं					
कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	निरंक	लागू नहीं					
विकास, निर्माण आदि के रूप में संपत्ति भूमि पर किया गया कोई विनिधान	निरंक	लागू नहीं					
अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	निरंक	लागू नहीं					

1. अधिसूचना सं० का०आ० 1023 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2019 द्वारा टिप्पण के स्थान पर प्रतिस्थापित ।



05 MAR 2026

Jakur



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) —स्थान —सर्वेक्षण संख्यांक	1.संतोषी नगर खमताराई रायपुर में एक मकान 2 हजार वर्ग फिट, ख.नं. 522/8, प.ह.नं. 108 रा.नि.म.रायपुर (कच्चा मकान कय किया गया था) 2.संतोषी नगर खमताराई रायपुर में एक मकान 2 हजार 100 वर्ग फिट ख.नं. 448/1, प.ह.नं. 108 रा.नि.म.रायपुर (कच्चा मकान कय किया गया था)	लागू नहीं				
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	1. दो हजार वर्ग फिट 2. 2100 वर्ग फिट	लागू नहीं				
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	पूरे क्षेत्र में निर्माण	लागू नहीं				
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वाअर्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	15.11.1989	लागू नहीं				
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	1. 10 हजार बैनामा के अनुसार 2. 1 लाख 23 हजार बैनामा के अनुसार	लागू नहीं				
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई भी विनिधान	1. 25 लाख 2. 30 लाख	लागू नहीं				
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	1. लगभग 1 करोड़ 60 लाख रु. 2. लगभग 1 करोड़ 40 लाख रु.	लागू नहीं				
(v)	अन्य (जैसे संपत्ति में हित)	निरंक	लागू नहीं				
(vi)	ऊपर (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	3 करोड़	लागू नहीं				

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्यौरे नीचे देता हूँ—

(टिप्पण : कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यक्ति के नाम और रकम के अलग-अलग ब्यौरे दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नि	1[हिन्दू अविभक्त कुटुंब]	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम ऋण की प्रकृति	1. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कुल 18 लाख रु. का लोन वर्ष 2020 में, बकाया रकम 1571230 रु. उक्त लोन लक्ष्मी वर्मा पति युगल किशोर वर्मा एवं पुत्र सुमित वर्मा के संयुक्त नाम से लिया गया है।	1. के.सी.सी. लोन आई.सी.आई.सी.आई बैंक, ऋण की राशि 3080000 रु., बकाया रकम 2603703 रु. 2. केनरा बैंक तेलीबांधा जीई रोड ऋण राशि 8 लाख, बकाया राशि 523079 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ऊपर उल्लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टि/अस्तित्व के ऋण या देय,	हाउसिंग लोन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों की कुल योग	4698012 रु. (अभ्यर्थी एवं उनके पति का संयुक्त कुल दायित्व)	3126782 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



05 MAR 2026

Janus



10/11/20

30

<p>(ii)</p>	<p>सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोध्य</p>	<p>(क) क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभाग में है ? (ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात् :-</p> <p>(i) सरकारी आवास का पता लागू नहीं</p> <p>(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में निम्नलिखित के मददे कोई शोध्य संदेय नहीं हैख (क) भाटक; (ख) विद्युत प्रभार; (ग) जल प्रभार; और (घ) (तारीख) को टेलीफोन प्रभार</p> <p>[तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिए] टिप्पण : उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p>	<p>लागू नहीं</p> <p>लागू नहीं</p>
-------------	---	---	-----------------------------------

1. अधिसूचना सं० का०आ० 1023 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2019 द्वारा अंतःस्थापित ।



05 MAR 2026

Jain



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलिकाप्टर भी हैं)	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	आय-कर शोध्य	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		स्वयं		पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(v)	जीएसटी शोध्य	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	कोई अन्य शोध्य	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं - 1. कृषि आय, किराये एवं महिला आयोग से वेतन
(टीप : वर्तमान में महिला आयोग से त्याग पत्र दिया गया है)

(ख) पति - 1. कृषि आय, टेंट हाऊस से प्राप्त आय

(ग) आय के स्रोतों के ब्यौरे-

(क) स्वयं - 1. कृषि आय, किराये एवं महिला आयोग से वेतन
(टीप : वर्तमान में महिला आयोग से त्याग पत्र दिया गया है)

(ख) पति - 1. कृषि आय, टेंट हाऊस से प्राप्त आय

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हों - लागू नहीं

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कंपनी या कंपनियों के साथ संविदाएं-

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे - निरंक

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे - निरंक

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे - लागू नहीं

(घ) हिन्दू अविभक्त कुटुंब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे - निरंक

(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं - निरंक

(च) प्राइवेट कंपनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा है - लागू नहीं

(10) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :-

M.A (Post Graduate), Govt. Chhattisgarh College Raipur, Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, Year - 2001

(प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुये विद्यालय/महविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग - ख

(11) भाग क के (1) से (10) तक में दिये गये ब्यौरों का सार :

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमारी - श्रीमती लक्ष्मी वर्मा			
2	डाक का पूरा पता	म.नं.100748, सड़क नं सी.19, संतोषी नगर खमतलाई, वार्ड नं. 07, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	छत्तीसगढ़ राज्य			
4	राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा "निर्दलीय" लिखें)	भारतीय जनता पार्टी			
1[5	लंबित अपराधिक मामलों की कुल संख्या	निरंक			
6	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है।]	निरंक			
7		का स्थायी खाता संख्या (पीएएन)	वर्ष जिसमें आय-कर की गई है	अंतिम विवरण फाईल	दर्शाई गई कुल आय
	(क) अभ्यर्थी	ADWPV5303L	2024-25		कुल आय 393890 रु. कृषि आय 424000 रु.
	(ख) पति या पत्नी	ADWPV5300K	2024-25		कुल आय 502990 रु. कृषि आय 504000 रु.
	2[(ग) हिन्दू अविभक्त कुटुंब	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं
	(घ) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं

1. अधिसूचना सं. का०आ० 196 (अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2018 द्वारा पैरा 9क और पैरा 9ख अंतःस्थापित ।
2. अधिसूचना सं. का०आ० 1023 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2019 द्वारा अंतःस्थापित ।



05 MAR 2026

Signature




20 11 11

11/11/11

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

8	I[आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपों में ब्यौरे]							
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	I[[हिन्दू अविभक्त कुटुंब]	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
अ.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	8898113 रु.	2131678 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
आ.	स्थावर आस्ति							
I	स्व अर्जित स्थावर संपत्ति की कय की कीमत	1. 10 हजार बैनामा के अनुसार 2. 1 लाख 23 हजार बैनामा के अनुसार	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
II	कय के पश्चात स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण की लागत (यदि लागू हों)	1. 25 लाख 2. 30 लाख	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
III	(क) स्वार्जित आस्तियों (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियों (कुल मूल्य), की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	1. लगभग 1 करोड़ 60 लाख रु. 2. लगभग 1 करोड़ 40 लाख रु. 1. लगभग 821500 रु. वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 3943200 रु.	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
9	दायित्व	4698012 रु.						
(i)	सरकार के देय (कुल)	निरंक	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	एलआईसी हाऊसिंग फाईनेंस 1571230 रु. ऋण शेष (अभ्यर्थी के हिस्से में कुल ऋण का तीसरा हिस्सा 523743 रु.	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
10	दायित्व जो विवादग्रस्त है	निरंक	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(i)	सरकार के देय (कुल)	निरंक	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	निरंक	निरंक	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : M.A (Post Graduate), Govt. Chhattisgarh College Raipur, Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, Year - 2001 (प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुये विद्यालय/महविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)							



05 MAR 2028

Signature

